न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 81/2019 निर्णय दिनांक :– 21.08.2020

1. अहसान पुत्र श्री सलामुद्दीन कुरैशी जाति मुसलमान उम्र 33 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थी–

–बनाम–

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट उपधारा (1), 209, आरटी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पंचायत समिति देवली में आयोजित कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 3079 रकबा 2.56 है0 वाके तनग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। प्रार्थी की उक्त भूमि के आस पास की स्थिति का नजरी नक्शा अन्य दस्तावेज के साथ लगाया गया है। नजरी नक्शे में तनग्राम थांवला के खसरा नम्बर 3076, 3077, 3102 के चरपेटवा दक्षिण में मालेड़ा गांव की सीमा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी के पश्चिम में लगभग आधा किलोमीटर दूर कई खेतो के बाद मालेडा से थांवला रोड़ स्थित है, जो नजरी नक्शे में नीली स्याही की लकीर से दर्शाया गया है। उक्त मालेड़ा से थांवला रोड़ से कई खेतो से चिपकते हुए व नजरी नक्शे के खसरा नम्बर 3076, 3077, 3102 की दक्षिणी सीमा से चरपेटवा व ग्राम मालेड़ा की तनकटी के बीच आगे तक गोविन्दपुरा ढाणी तक एक गिट्टी रोड़ बना हुआ है, जो लाल स्याही की लकीर से दर्शाया गया है। दक्षिण में चरपेटवा ही लाला स्याही से दर्शाये गये गिट्टी के रास्ते से ही प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी की तरफ के खेतो पर जाने कर रास्ता है। नजरी नक्शे में लाल स्याही की लकीर से दर्शाये गये रास्ते से प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 3079 में आने–जाने का रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी नजरी नक्शे में हरे रंग की लकीर से दिखाये गये मार्क ए से बी स्थान से आराजी खसरा नम्बर 3077 की पश्चिमी सीमा

के चरपेटवा होकर ही आपने उक्त खेत में आता–जाता रहा है। नजरी नक्शे में लाल रंग की लकीर से दिखाये गये रास्ते से अपने खेत में आने–जाने में कठिनाईयों होती है और खसरा नम्बर 3077 में होकर ही आता–जाता रहा है। परन्तु खसरा नम्बर 3077 राजकीय सिवायचक भूमि होने से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को आने–जाने से रोका जा सकता है। न्यायहित में आवश्यक है कि नजरी नक्शे में दिखाये लाला लकीर के रास्ते से प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 3079 में आने जाने व काश्तकारी कार्य करने के लिए उक्त वर्णित खसरा नम्बर 3077 राजकीय सिवायचक भूमि की पश्चिमी सीमा चरपेटवा नजरी नक्शे में हरे रंग से दिखाये गये मार्ग ए से बी तक 30 फीट चौडा रास्ता दिया जाए और दिये जाने वाले रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाया जाए। यदि मौके पर रिकॉर्डेड रास्ता कायम नहीं करवाया गया तो अप्रार्थी प्रार्थी के आने– जाने एवं कृषि कार्यो में रोक लगा सकता है। जिससे प्रार्थी को कई प्रकार की कठिनाईयां व अपूरणीय क्षति होगी।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थी के पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 9 मीटर व लम्बाई 80 मीटर कुल क्षेत्रफल 720 वर्गमीटर होगी। प्रस्तावित रास्ते की डी0एल0सी0 दर 43.43 रूपया प्रति वर्ग मीटर से कुल 720 वर्ग मीटर की राशि 31270 रूपये बनते है, दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 62540 रू0 अक्षरे बासठ हजार पाच सौ चालीस रूपये होगी। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3079 रकबा 2.56 है0 खातेदारी भूमि है। प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 3077 रकबा 1.24 है0 में सिवायचक भूमि से रास्ता चाहता है जो मौके पर खाली है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। रास्ता दर्ज किये जाने का कोई औचित्य नहीं है फिर भी माननीय न्यायालय दर्ज किया जाना आवश्यक मानते है तो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में है। प्रस्तावित रास्ते मे कोई निर्माण पेड, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही है। ख. नं. 3077 बंजड़ सिवायचक भूमि है जिस पर कोई अतिक्रमण भी नहीं है आवगमन में बाधा नहीं होने से रिकॉर्ड रास्ता दर्ज किया जाने वांछित नही है, फिर भी माननीय न्यायालय उपयुक्त मानता है तो नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त भूमि का रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी

D.1.20

अहसान पुत्र सलामुद्दीन मुसलमान सा0 नासिरदा आराजी ख. नं. 3079 रकबा 2.56 है0 खातेदारी भूमि में से ख. नं. 3078 रकबा 1.24 है0 जो सिवायचक भूमि में होकर 0.72 वर्गमी0 के पास ग्राम मालेड़ा में थांवला–मालेड़ा लिंक रोड़ से डाबरखुर्द में ग्रेवल सड़क पर मिलता है। उक्त ग्रेवल सड़क ख. नं. 3078 से सटी हुई है जो ग्राम सीमा मालेड़ा मे स्थित है,तक अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता चाहा गया है। नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी व नक्शा ट्रेस संलग्न कर मय डीएलसी दर व मौका निरीक्षण रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु अधौहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच कर श्रीमान की सेवा में पेश है। संलग्न 1. भू. अनि0 रिपोर्ट 2. नकशा ट्रेस दो प्रति 3. जमाबन्दी

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि लिपीकीय त्रुटिवश ख. नं. 3079 के स्थान पर 3070 हो गया है। अतः इसको ख. नं. 3079 ही पढा व समझा जावे। रिपोर्ट में राशि का अवलोकन करने पर राशि प्रार्थी की क्षमता से अत्यधिक है। श्री मान से प्रार्थना है कि 30 फीट के स्थान 4 मीटर चौड़ा रास्ता ही दिया जावे। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 3079 रकबा 2.56 है0 है। प्रार्थी की भूमि से पूर्व सिवायचक भूमि ख. नं. 3077 रकबा 1.24 है0 है, जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाहता है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट व बहस में सिवायचक भूमि से रास्ते बाबत यह बताया कि ख. नं. 3077 सिवायचक बंजड़ अतिक्रमण रहित भूमि है जिसमें से होकर आवागमन में कोई बाधा नहीं है । अतः रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र में बताया कि ख. नं. 3077 सिवायचक भूमि है जिस पर गिरोहबन्द लोग अतिक्रमण कर लेते है और प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो उन बदमाश, गिरोहबन्द व्यक्तियों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए रिकॉर्डेड रास्ते की सख्त आवश्कता है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता अत्यन्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता जिसकी चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 80 मीटर अर्थात 320 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 27795/– अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, की गई तरमीम सहित रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली